[2025] 4 एस.सी.आर. 551 : 2025 आईएनएससी 450

संगीता सिन्हा

बनाम.

भावना भारद्वाज और अन्य

(2025 का दीवानी अपील सं. 4972)

04 अप्रैल 2025

[दीपांकर दत्ता और मनमोहन, न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

उठा हुआ प्रश्न यह था कि क्या विक्रय अनुबंध के विशिष्ट प्रतिपादन के लिए दायर वाद को इस स्थिति में डिक्री किया जा सकता है, जब वादी-क्रेता ने वाद की लंबित अवस्था के दौरान बयाना/अग्रिम विचार राशि के अधिकांश भाग की वापसी स्वीकार कर ली हो।

निर्णय सार

विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 — विक्रय अनुबंध के विशिष्ट प्रतिपादन — क्रेता द्वारा विचार राशि की वापसी स्वीकार करना — विशिष्ट प्रतिपादन के राहत पर प्रभाव — क्रेता-उत्तरदाता सं. 1 और विक्रेता के बीच एक अपंजीकृत विक्रय अनुबंध निष्पादित हुआ — क्रेता ने कुछ राशि नकद अदा की तथा तीन उत्तर-दिनांकित चेक जारी किए — विक्रेता द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित न करने पर, क्रेता ने अनुबंध के विशिष्ट प्रतिपादन हेतु वाद दायर किया — विक्रेता ने पुलिस में शिकायत की कि उसके हस्ताक्षर विक्रय अनुबंध पर धोखे से लिए गए थे तथा अनुबंध को निरस्त करने हेतु पत्र जारी किया; साथ ही कुछ राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वापस की और तीन में से दो उत्तर-दिनांकित चेक लौटा दिए, जिन्हें बाद में भुना लिया गया — विक्रेता की मृत्यु होने पर, उत्तरदाता सं. 3 (विक्रेता का सौतेला पौत्र) को, अपीलकर्ता के साथ, पक्षकार बनाया गया, जिसके पक्ष में विवादित संपत्ति वसीयत द्वारा दे दी गई थी — विचारण न्यायालय ने क्रेता के पक्ष में निर्णय पारित किया — उच्च न्यायालय ने भी उसे बरकरार रखा — शुद्धता :

अभिनिर्धारित : क्रेता द्वारा डिमांड ड्राफ्टों को भुना लेने का आचरण निर्विवाद रूप से यह सिद्ध करता है कि वह विक्रय अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने तथा विक्रय विलेख के निष्पादन के साथ आगे बढ़ने के लिए इच्छुक नहीं थी। यह तथ्य कि समस्त अग्रिम विचार राशि/बयाना पूरी तरह वापस नहीं किया गया था, अप्रासंगिक एवं महत्वहीन है। क्रेता द्वारा डिमांड ड्राफ्ट भुनाने का कार्य इस अनिवार्य निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि विक्रय अनुबंध निरस्त हो चुका था। वाद दायर किए जाने से पूर्व ही विक्रेता द्वारा अनुबंध निरस्तीकरण का पत्र जारी किया जा चुका था, जो एक अधिकारिता संबंधी तथ्य है; जब तक उक्त निरस्तीकरण को अपास्त नहीं किया जाता, तब तक क्रेता विशिष्ट प्रतिपादन की राहत की अधिकारी नहीं हो सकती। अतः, बिना इस प्रकार की घोषणात्मक राहत की मांग किए कि अनुबंध का निरस्तीकरण विधि विरुद्ध है, विशिष्ट प्रतिपादन का वाद ग्राह्य नहीं है। यह आपत्ति कि अपीलकर्ता को वर्तमान अपील दायर करने का *अधिस्थिति* नहीं था, क्योंकि विवादित संपत्ति पर उसका कोई अधिकार, हित या स्वामित्व नहीं था — तथ्यों के आधार पर भ्रांतिपूर्ण है। अपीलकर्ता मूल स्वामी/विक्रेता द्वारा निष्पादित वसीयत के अधीन लाभार्थी है, जिसके द्वारा विवादित संपत्ति उसके पक्ष में वसीयत की गई थी। अतः, वाद में एक आवश्यक एवं हितग्राही पक्षकार होने के कारण, उसे वर्तमान अपील दायर करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, तत्परता एवं इच्छा सिद्ध करने का भार क्रेता पर है, और ऐसा सिद्ध करने में असफलता उसे विशिष्ट प्रतिपादन जैसे समतामूलक एवं विवेकाधीन राहत से वंचित कर देती है। क्रेता ने वादपत्र में यह तथ्य प्रकट नहीं किया कि विक्रेता ने निरस्तीकरण पत्र जारी किया था, जिसके साथ डिमांड ड्राफ्ट और चेक संलग्न थे; यह एक महत्वपूर्ण तथ्य का दमन है, जो उसे विशिष्ट प्रतिपादन की विवेकाधीन राहत से वंचित करता है। अतः, विक्रय अनुबंध का विशिष्ट प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है, तथा क्रेता के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को शून्य एवं अवैध घोषित किया जाता है। [कंडिका 15, 17-21, 25-30]

विशिष्ट प्रतिपादन — विशिष्ट प्रतिपादन की राहत का अनुदान — अनुबंध के पालन हेतु 'तत्परता' और 'इच्छा' — व्याख्या :

अभिनिर्धारितः 'तत्परता' और 'इच्छा' एक ही नहीं, बल्कि दो पृथक तत्व हैं। 'तत्परता' का अर्थ है क्रेता की अनुबंध का पालन करने की क्षमता, जिसमें विक्रय मूल्य का भुगतान करने की उसकी आर्थिक स्थिति भी सम्मिलित होती है। 'इच्छा' से अभिप्राय है क्रेता का अपने हिस्से के अनुबंध को निभाने का आशय, जिसका आकलन क्रेता/क्रेता-पक्ष के आचरण तथा संबंधित परिस्थितियों के परीक्षण से किया जाता है। विक्रय अनुबंध के निष्पादन की तिथि से लेकर डिक्री पारित होने तक, क्रेता/क्रेता-पक्ष द्वारा निरंतर 'तत्परता' और 'इच्छा' का बना रहना, विशिष्ट प्रतिपादन की राहत प्रदान किए जाने के लिए एक पूर्वापेक्षा है। केवल वादपत्र दायर करने की तिथि तक तत्परता और इच्छा का प्रदर्शन पर्याप्त नहीं है; बल्कि आचरण ऐसा होना चाहिए जो यह प्रदर्शित करे कि अनुबंध की तिथि से लेकर वाद की लंबित अवधि के दौरान तथा डिक्री पारित होने तक, प्रत्येक समय पर तत्परता और इच्छा विद्यमान थी। [कंडिका 17–20]

न्याय दृष्टान्त

आर. कंदासामी (मृत होने के बाद से) और अन्य बनाम टी.आर.के. सरवती और एक अन्य, **2013 की दीवानी अपील सं. 3015, निर्णय दिनांक 21 नवम्बर 2024;** महबूब-उर-रहमान (मृत) अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम अहसानुल गनी, **[2019] 2 एससीआर 169 : (2019) 19 एस सी सी 415;** सी.एस. वेंकटेश बनाम ए.एस.सी. मूर्ति (मृत) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा एवं अन्य, **[2020] 2 एससीआर 676 : (2020) 3 एससीसी 280;** कमल कुमार बनाम प्रेमलता जोशी एवं अन्य, **[2019] 1 एससीआर 54 : (2019) 3 एससीसी 704;** पी. दैवसिगामणि बनाम एस. संबंदन, **[2022] 18 एससीआर 199 : (2022) 14 एस सी सी 793;** गोमथिनायगम पिल्लई एवं अन्य बनाम पलानीस्वामी नादर, **[1967] 1**

एससीआर 227; विजय कुमार एवं अन्य बनाम ओम प्रकाश, **2018 एससीसी ऑनलाइन एस.सी 1913;** जे.पी. बिल्डर्स एवं एक अन्य बनाम ए. रामदास राव एवं एक अन्य, **[2010] 15 एससीआर 538 : (2011) 1 एससीसी 429;** उमाबाई एवं एक अन्य बनाम नीलकंठ धोंडीबा चव्हाण (मृत) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा एवं अन्य, **[2005] 3 एससीआर 521 : (2005) 6 एस सी सी 243;** आई.एस. सिकंदर (मृत) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा बनाम के. सुब्रमणि और अन्य, **[2013] 17 एससीआर 24 : (2013) 15 एससीसी 27;** ए कंथामणि बनाम नसरीन अहमद, **[2017] 2 एससीआर 610 : (2017) 4 एस सी सी 654;** सृष्ट धवन (श्रीमती) बनाम शॉ ब्रदर्स, **[1991] पूरक 3 एससीआर 446 : (1992) 1 एस सी सी 534;** सिटाडेल फाइन फार्मास्युटिकल्स बनाम रामानियम रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं एक अन्य, **[2011] 13 एससीआर 605 : (2011) 9 एस सी सी 147 — संदर्भित ।**

अधिनियमों की सूची

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

मुख्य शब्दों की सूची

विशिष्ट प्रतिपादन ; विक्रय अनुबंध ; विशिष्ट प्रतिपादन की समतामूलक एवं विवेकाधीन राहत ; अनुबंध के अनुतोष हेतु 'तत्परता' एवं 'इच्छा'; अनुबंध का निरस्तीकरण ; डिमांड ड्राफ्ट का भुनाना ; क्रेता द्वारा विचार राशि की वापसी स्वीकार कर; आवश्यक एवं हितग्राही पक्षकार; महत्वपूर्ण तथ्यों का दमन; विक्रय अनुबंध के विशिष्ट प्रतिपादन हेतु वाद; वाद की लंबित अवस्था के दौरान बयाना/अग्रिम विचार राशि के अधिकांश भाग की वापसी ; वाद दायर करने का अधिकार।

प्रकरण से उत्पन्न

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या 4972/2025

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 09.05.2024 के निर्णय एवं आदेश 2018 के एफ.ए. संख्या 83 के द्वारा ।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिएः

एस. बी. उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री इंदु कौल, राजीव कुमार सिन्हा, राज कुमार, अभिनव कथुरिया।

उत्तरदाताओं के लिएः

मुंगेश्वर साहू, अर्धेन्दुमाउली कुमार प्रसाद वरिष्ठ अधिवक्ता, समरन्द्र कुमार, विवेक कुमार श्रीवास्तव, पवन कुमार, रवि भूषण उपाध्याय, रमेश कुमार मिश्रा, शिवम तिवारी, विशाल अरुण मिश्रा, रमेश कुमार मिश्रा, शिवम तिवारी, सुश्री अनुषा राठौर, शिवांक एस. सिंह।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

मनमोहन, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान दीवानी अपील में विचारणीय मुख्य प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या विक्रय अनुबंध के विशिष्ट प्रतिपादन हेतु दायर वाद को इस स्थिति में डिक्री किया जा सकता है, जब वादी-क्रेता ने वाद की लंबित अवस्था के दौरान बयाना/अग्रिम विचार राशि के अधिकांश भाग की वापसी स्वीकार कर ली हो?

3. वर्तमान अपील तक पहुंचने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:–

   3.1. स्वर्गीय कुसुम कुमारी ("मूल उत्तरदाता"/"विक्रेता") को विवादित संपत्ति पीपुल्स को ऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड द्वारा दिनांक 2 अप्रैल 1968 के एक पंजीकृत उप-पट्टा के माध्यम से आवंटित की गई थी।

3.2. दिनांक 25 जनवरी 2008 को, विवादित संपत्ति के संबंध में "उत्तरदाता सं. 1–क्रेता" (वादी) और विक्रेता के बीच कुल विक्रय मूल्य ₹25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये) पर एक अपंजीकृत विक्रय अनुबंध निष्पादित किया गया। विक्रय अनुबंध के निष्पादन के समय, उत्तरदाता सं. 1–क्रेता ने विक्रेता को ₹2,51,000/- (दो लाख इक्यावन हजार रुपये) नकद अदा किए तथा ₹7,50,000/- (सात लाख पचास हजार रुपये) के तीन उत्तर-दिनांकित चेक जारी किए।

3.3. उत्तरदाता सं. 1–क्रेता का यह मामला है कि जब वह 11 फरवरी 2008 को अपने पति के साथ विवादित संपत्ति पर गई, तब विक्रेता के किरायेदारों ने झगड़ा उत्पन्न किया और उन्हें वापस लौटने के लिए बाध्य कर दिया। इन परिस्थितियों में, उत्तरदाता सं. 1–क्रेता ने दिनांक 23 फरवरी 2008 तथा 23 अप्रैल 2008 को विधिक सूचना पत्र जारी किए, जिनमें शेष विक्रय मूल्य का भुगतान करने तथा संपत्ति को अपने पक्ष में पंजीकृत कराने की अपनी इच्छा व्यक्त की।

3.4. विक्रेता द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित करने में विफल रहने पर, उत्तरदाता सं. 1–क्रेता ने विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 ("अधिनियम, 1963") के अंतर्गत विचारण न्यायालय, उप न्यायाधीश–IV, पटना के समक्ष दिनांक 25 जनवरी 2008 के विक्रय अनुबंध के विशिष्ट प्रतिपादन हेतु वाद दायर किया, जिसे शीर्षक वाद संख्या टी एस/176/2008 ("विषय वाद") के रूप में पंजीकृत किया गया।

3.1. स्वर्गीय कुसुम कुमारी ("मूल उत्तरदाता"/"विक्रेता") को विवादित संपत्ति पीपुल्स को ऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड द्वारा दिनांक 2 अप्रैल 1968 के एक पंजीकृत उप-पट्टा के माध्यम से आवंटित की गई थी।

3.2. दिनांक 25 जनवरी 2008 को, विवादित संपत्ति के संबंध में "उत्तरदाता सं. 1–क्रेता" (वादी) और विक्रेता के बीच कुल विक्रय मूल्य ₹25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये) पर एक अपंजीकृत विक्रय अनुबंध निष्पादित किया गया। विक्रय अनुबंध के

निष्पादन के समय, उत्तरदाता सं. 1–क्रेता ने विक्रेता को ₹2,51,000/- (दो लाख इक्यावन हजार रुपये) नकद अदा किए तथा ₹7,50,000/- (सात लाख पचास हजार रुपये) के तीन उत्तर-दिनांकित चेक जारी किए।

3.3. उत्तरदाता सं. 1–क्रेता का यह मामला है कि जब वह 11 फरवरी 2008 को अपने पति के साथ विवादित संपत्ति पर गई, तब विक्रेता के किरायेदारों ने झगड़ा उत्पन्न किया और उन्हें वापस लौटने के लिए बाध्य कर दिया। इन परिस्थितियों में, उत्तरदाता सं. 1–क्रेता ने दिनांक 23 फरवरी 2008 तथा 23 अप्रैल 2008 को विधिक सूचना पत्र जारी किए, जिनमें शेष विक्रय मूल्य का भुगतान करने तथा संपत्ति को अपने पक्ष में पंजीकृत कराने की अपनी इच्छा व्यक्त की।

3.4. विक्रेता द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित करने में विफल रहने पर, उत्तरदाता सं. 1–क्रेता ने विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 ("अधिनियम, 1963") के अंतर्गत विचारण न्यायालय, उप न्यायाधीश–IV, पटना के समक्ष दिनांक 25 जनवरी 2008 के विक्रय अनुबंध के विशिष्ट प्रतिपादन हेतु वाद दायर किया, जिसे शीर्षक वाद संख्या टी एस/176/2008 ("विषय वाद") के रूप में पंजीकृत किया गया।

3.5. विषय वाद का विक्रेता द्वारा लिखित बयान दाखिल कर प्रतिवाद किया गया, जिसमें यह कहा गया कि उसे दिनांक 25 जनवरी 2008 के विक्रय अनुबंध के बारे में 5 फरवरी 2008 को जानकारी हुई और तत्पश्चात उसने 6 फरवरी 2008 को निरीक्षक पुलिस-सह-थाना प्रभारी, कंकड़बाग थाना, पटना के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उसके हस्ताक्षर दिनांक 25 जनवरी 2008 के विक्रय अनुबंध पर कपटपूर्वक प्राप्त किए गए थे। आगे यह भी कहा गया कि विक्रेता ने दिनांक 7 फरवरी 2008 को एक पत्र जारी कर उक्त विक्रय अनुबंध को निरस्त कर दिया तथा ₹2,11,000/- (दो लाख ग्यारह हजार रुपये) की राशि पाँच डिमांड ड्राफ्टों के माध्यम से (दिनांक 7 फरवरी 2008) वापस कर दी, जो नकद राशि के

बदले थी, और ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) प्रत्येक के तीन उत्तर-दिनांकित चेकों में से दो चेक वापस कर दिए, जो क्रेता द्वारा जारी किए गए थे। दिनांक 16 दिसंबर 2008 के आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय ने मुद्दे निर्धारित किए।

3.6. विक्रेता के निधन के पश्चात, यहां के उत्तरदाता सं. 3, जो विक्रेता का सौतेला पौत्र है, को प्रतिस्थापित उत्तरदाता सं. 1 के रूप में पक्षकार बनाया गया तथा वर्तमान अपीलकर्ता को उत्तरदाता सं. 3 के रूप में इस आधार पर जोड़ा गया कि मूल स्वामी/विक्रेता द्वारा दिनांक 23 सितम्बर 2002 को निष्पादित वसीयत के माध्यम से विवादित संपत्ति उसके पक्ष में वसीयत की गई थी।

3.7. यहाँ के उत्तरदाता सं. 1 (अभियोजन साक्षी–1) तथा उसके पति (अभियोजन साक्षी–2) के कथनों पर विचार करने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने दिनांक 21 जनवरी 2013 के आदेश द्वारा तीन अतिरिक्त मुद्दे निर्धारित किए। तत्पश्चात, दिनांक 27 अप्रैल 2018 को पुनः मुद्दे निर्धारित किए गए और उसी दिन उत्तरदाता सं. 1–क्रेता के पक्ष में निर्णय पारित किया गया।

3.8. दिनांक 27 अप्रैल 2018 के निर्णय तथा दिनांक 10 मई 2018 की डिक्री को वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील सं. 83/2018 में चुनौती दी गई। उक्त अपील को पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 9 मई 2024 के आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया।

3.9. वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर किए जाने पर, इस न्यायालय ने सूचना पत्र जारी करते समय दिनांक 20 अगस्त 2024 को पक्षकारों को विवादित संपत्ति के कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

<u>अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क</u>

4. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एस.बी. उपाध्याय ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 25 जनवरी 2008 के विक्रय अनुबंध पर विक्रेता के हस्ताक्षर वर्तमान वाद के

उत्तरदाता सं. 3 द्वारा कपटपूर्वक प्राप्त किए गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि विक्रेता-उत्तरदाता ने कुछ कोरे कागज़ों पर यह समझकर हस्ताक्षर किए थे कि वे दिनांक 23 सितम्बर 2002 को अपीलकर्ता के पक्ष में निष्पादित वसीयत से संबंधित हैं।

5. उन्होंने यह भी कहा कि दिनांक 25 जनवरी 2008 के विक्रय अनुबंध के बारे में 5 फरवरी 2008 को जानकारी होने पर, विक्रेता ने 6 फरवरी 2008 को निरीक्षक पुलिस-सह-थाना प्रभारी, कंकड़बाग, पटना के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उक्त विक्रय अनुबंध पर उसके हस्ताक्षर कपटपूर्वक प्राप्त किए गए थे।

6. उन्होंने यह भी कहा कि दिनांक 7 फरवरी 2008 को विक्रेता ने उत्तरदाता सं. 1–क्रेता को एक पत्र लिखकर दिनांक 25 जनवरी 2008 के विक्रय अनुबंध को निरस्त कर दिया, जिसके साथ दिनांक 7 फरवरी 2008 के पाँच डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किए गए, जिनकी कुल राशि ₹2,11,000/- (दो लाख ग्यारह हजार रुपये) थी, जो नकद राशि के बदले में थी, तथा ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) प्रत्येक के तीन उत्तर-दिनांकित चेकों में से दो चेक, जो उत्तरदाता सं. 1–क्रेता द्वारा जारी किए गए थे, वापस कर दिए गए।

7. उन्होंने यह इंगित किया कि उत्तरदाता सं. 1–क्रेता तथा उसके पति (अभियोजन साक्षी–2) ने अपने-अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने दिनांक 7 फरवरी 2008 के पाँच डिमांड ड्राफ्ट, जिनकी कुल राशि ₹2,11,000/- (दो लाख ग्यारह हजार रुपये) थी, नकद राशि के बदले प्राप्त किए थे, तथा ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) प्रत्येक के तीन उत्तर-दिनांकित चेकों में से दो चेक भी, मार्च 2008 में दिनांक 25 जनवरी 2008 के विक्रय अनुबंध को निरस्त करने वाले पत्र के साथ प्राप्त किए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिनांक 7 फरवरी 2008 के उक्त पाँच डिमांड ड्राफ्ट, जिनकी कुल राशि ₹2,11,000/- थी, उत्तरदाता सं. 1–क्रेता द्वारा जुलाई 2008 में भुना लिए गए, जबकि विषय वाद 5 मई 2008 को पहले ही दायर किया जा चुका था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि

डिमांड ड्राफ्ट का भुनाना, दिनांक 25 जनवरी 2008 के विक्रय अनुबंध के निरसन के समतुल्य है। उन्होंने यह तर्क दिया कि उत्तरदाता सं. 1–क्रेता द्वारा आक्षेपित वाद, उक्त विक्रय अनुबंध के निरसन के पश्चात दायर किया गया, बिना निरसन के विरुद्ध किसी प्रकार की राहत मांगे तथा यह तथ्य प्रकट किए बिना कि उसने डिमांड ड्राफ्ट एवं उत्तर-दिनांकित चेक प्राप्त किए थे।

8. उन्होंने यह तर्क दिया कि विषय वाद ऐसे विक्रय अनुबंध के आधार पर दायर किया गया था, जो पहले ही निरस्त हो चुका था, अतः वह ग्राह्य नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विशिष्ट प्रतिपादन की राहत प्रदान करने के लिए एक वैध अनुबंध का अस्तित्व *साइन क्वा नॉन* (अनिवार्य शर्त) है। उन्होंने यह भी इंगित किया कि समान परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने **आर. कंडासामी (मृत के बाद से) और अन्य बनाम टी.आर.के. सरवती और एक अन्य. (दीवानी अपील सं. 3015/2013, निर्णय दिनांक 21 नवम्बर 2024)** में उत्तरदाता सं. 1–क्रेता के पक्ष में पारित निर्णय एवं डिक्री को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि एक अस्तित्वहीन विक्रय अनुबंध को विधि के न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता।

9. उन्होंने वैकल्पिक रूप से यह भी तर्क दिया कि उत्तरदाता सं. 1–क्रेता दिनांक 25 जनवरी 2008 के विक्रय अनुबंध का पालन करने के लिए न तो तत्पर थी और न ही इच्छुक थी। उन्होंने कहा कि केवल यह कथन कर देना कि उत्तरदाता सं. 1–क्रेता अनुबंध के पालन के लिए तत्पर एवं इच्छुक है, पर्याप्त नहीं है; बल्कि तत्परता एवं इच्छा का निष्कर्ष पूरे मामले की परिस्थितियों से निकाला जाना चाहिए, जिसमें वाद दायर किए जाने से पूर्व तथा पश्चात उत्तरदाता सं. 1–क्रेता के आचरण का भी सम्यक् परीक्षण शामिल है।

10. उन्होंने यह इंगित किया कि उत्तरदाता सं. 1–क्रेता ने अपने प्रति परिक्षण में यह स्वीकार किया कि अनुबंध के निष्पादन के समय उसे अपने बैंक खाते में शेष राशि की जानकारी नहीं थी, तथा जब ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) के तीन उत्तर-दिनांकित

चेक जारी किए गए थे, उस समय उसके खाते में पर्याप्त शेष राशि उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने यह तर्क दिया कि उत्तरदाता सं. 1–क्रेता द्वारा डिमांड ड्राफ्टों को भुनाने का आचरण यह सिद्ध करता है कि वह अनुबंध का पालन करने के लिए न तो तत्पर थी और न ही इच्छुक। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय के निर्णय **महबूब-उर-रहमान (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम अहसानुल गनी (2019) 19 एससीसी 415 और सी.एस. वेंकटेश बनाम ए.एस.सी. मूर्ति (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य (2020) 3 एससीसी 280 पर अवलम्बन किया।**

उत्तरदाता सं. 1 की ओर से प्रस्तुत तर्क

11. इसके विपरीत, उत्तरदाता सं. 1–क्रेता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता मुंगेश्वर साहू ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का सही मूल्यांकन करते हुए वाद को उत्तरदाता सं. 1–क्रेता के पक्ष में डिक्री किया था, और तत्पश्चात विचारण न्यायालय के समक्ष ₹24,61,000/- (चौबीस लाख इकसठ हजार रुपये) जमा किए जाने पर उसके पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया। उन्होंने यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को उच्च न्यायालय द्वारा भी उचित रूप से बरकरार रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान कार्यवाही में अपीलकर्ता का पूरा मामला साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन पर आधारित है, जो इस चरण पर अनुमत नहीं है।

12. उन्होंने यह कहा कि विक्रेता द्वारा संपूर्ण बयाना/अग्रिम विचार राशि वापस नहीं की गई थी। उनके अनुसार, उत्तरदाता सं. 1–क्रेता ने विक्रेता को ₹2,51,000/- (दो लाख इक्यावन हजार रुपये) नकद दिए थे, जिसके विरुद्ध विक्रेता ने दिनांक 7 फरवरी 2008 के पाँच डिमांड ड्राफ्टों के माध्यम से ₹2,11,000/- (दो लाख ग्यारह हजार रुपये) वापस किए। अतः उनके अनुसार ₹40,000/- (चालीस हजार रुपये) की राशि अभी भी बयाना/अग्रिम विचार के रूप में विक्रेता के पास शेष रही। उन्होंने यह तर्क दिया कि चूँकि शेष विक्रय

मूल्य का भुगतान बाद में कर दिया गया था, इसलिए दिनांक 25 जनवरी 2008 के विक्रय अनुबंध का निरस्तीकरण वैध नहीं था।

13. उन्होंने आगे यह भी कहा कि कोई द्विपक्षीय अनुबंध केवल बयाना/अग्रिम राशि वापस कर देने मात्र से एक पक्ष द्वारा एकतरफा निरस्त नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार, ऐसा अनुबंध केवल न्यायालय के आदेश से या फिर पूर्व अनुबंध को निरस्त करने वाले किसी नवीन अनुबंध के निष्पादन द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि पक्षकारों को एकतरफा रूप से अनुबंध निरस्त करने की अनुमति दे दी जाए, तो क्रेता निरुपाय रह जाएगा, क्योंकि कोई भी तृतीय पक्ष अधिक बयाना राशि देकर बीच में हस्तक्षेप कर सकता है।

14. उन्होंने यह तर्क दिया कि विक्रेता अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उन्होंने कहा कि न तो अपीलकर्ता और न ही यहाँ के उत्तरदाता सं. 3 ने विक्रेता द्वारा दायर लिखित बयान के समर्थन में कोई बयान दिया। अतः उनके अनुसार विक्रेता का लिखित बयान सिद्ध नहीं हुआ। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलकर्ता को वर्तमान अपील दायर करने का *अधिकार* नहीं था। उनके अनुसार, अपीलकर्ता का विवादित संपत्ति पर कोई अधिकार, शीर्षक या हित नहीं है और विचारण न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से अपीलकर्ता किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होती है।

न्यायालय की विचारणा

उत्तरदाता सं. 1 विक्रय अनुबंध का पालन करने के लिए इच्छुक नहीं थी

15. पक्षकारों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं/अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने पर जो निर्विवाद स्थिति उभरती है, वह यह है कि उत्तरदाता सं. 1–क्रेता ने दिनांक 25 जनवरी 2008 के विक्रय अनुबंध के निष्पादन के समय ₹2,51,000/- (दो लाख इक्यावन हजार रुपये) नकद अदा किए थे तथा ₹2,50,000/- (दो लाख पचास

हजार रुपये) प्रत्येक के तीन उत्तर-दिनांकित चेक सौंपे थे। यह भी विवादित नहीं है कि उत्तरदाता सं. 1–क्रेता को बाद में दिनांक 7 फरवरी 2008 का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2008 के विक्रय अनुबंध को निरस्त किया गया था, और उसके साथ दिनांक 7 फरवरी 2008 के पाँच डिमांड ड्राफ्ट, जिनकी कुल राशि ₹2,11,000/- (दो लाख ग्यारह हजार रुपये) थी (जो क्रेता द्वारा दी गई नकद राशि के बदले में थे), संलग्न थे, साथ ही ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) प्रत्येक के तीन उत्तर-दिनांकित चेकों में से दो चेक भी, जो प्रारंभ में उत्तरदाता सं. 1–क्रेता द्वारा जारी किए गए थे, वापस कर दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, तीसरा उत्तर-दिनांकित चेक, जो उत्तरदाता सं. 1–क्रेता को वापस नहीं किया गया था, भुनाया नहीं गया। उत्तरदाता सं. 1–क्रेता ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 7 फरवरी 2008 का उक्त पत्र, विशिष्ट प्रतिपादन के वाद दायर किए जाने से पूर्व ही प्राप्त हो गया था, और दिनांक 7 फरवरी 2008 के पाँच डिमांड ड्राफ्ट, जिनकी कुल राशि ₹2,11,000/- थी, 5 मई 2008 को वाद दायर किए जाने के पश्चात जुलाई 2008 में भुना लिए गए, बिना इस बात पर कोई आपत्ति उठाए कि विक्रेता द्वारा दी गई नकद राशि और डिमांड ड्राफ्ट की राशि में अंतर था।

16. यह विधि द्वारा स्थापित है कि अधिनियम, 1963 के अंतर्गत, 2018 के संशोधन से पूर्व, विशिष्ट प्रतिपादन एक विवेकाधीन तथा समतामूलक राहत थी। **कमल कुमार बनाम प्रेमलता जोशी और अन्य, (2019) 3 एस सी सी 704**, जिसका अनुसरण पी. दैवसिगामणि बनाम एस. संबंदन, (2022) 14 एस सी सी 793 में किया गया है, में इस न्यायालय ने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्धारण किया, जिन पर विशिष्ट प्रतिपादन की राहत प्रदान करने से पूर्व विचार किया जाना आवश्यक है। **कमल कुमार** (उपरोक्त) के निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे पुनरुत्पादित किया जाता है:

"7. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि विशिष्ट प्रतिपादन की राहत का अनुदान एक विवेकाधीन तथा समतामूलक राहत है। विशिष्ट प्रतिपादन की राहत प्रदान करने हेतु जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जाना आवश्यक है, वे निम्नलिखित हैं:

7.1. प्रथम, क्या पक्षकारों के बीच वादगत संपत्ति के क्रय-विक्रय के लिए एक वैध एवं पूर्ण अनुबंध विद्यमान है।

7.2. द्वितीय, क्या वादी अपने हिस्से के अनुबंध का पालन करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक रहा है और क्या वह अब भी अनुबंध में वर्णित अपने हिस्से का पालन करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक है।

7.3. तृतीय, क्या वादी ने वास्तव में अपने हिस्से के अनुबंध का पालन किया है, और यदि हाँ, तो किस प्रकार, किस सीमा तक तथा किस तरीके से उसने पालन किया है, और क्या ऐसा पालन अनुबंध की शर्तों के अनुरूप था।

7.4. चतुर्थ, क्या वादी को विशिष्ट प्रतिपादन की राहत प्रदान करना उत्तरदाता के विरुद्ध समतामूलक होगा अथवा इससे उत्तरदाता को किसी प्रकार की कठिनाई होगी, और यदि होगी, तो किस प्रकार, किस सीमा तक तथा किस रूप में, यदि अंततः वादी को यह राहत प्रदान की जाती है।

7.5. अंततः, क्या वादी किसी अन्य वैकल्पिक राहत, जैसे बयाना राशि की वापसी आदि, का अधिकारी है, और यदि हाँ, तो किन आधारों पर।"

8. हमारे मत में, उपर्युक्त प्रश्न वैधानिक आवश्यकताओं का ही अंग हैं [देखें: विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धाराएँ 16(ग), 20, 21, 22, 23 तथा दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के परिशिष्ट ए से सी के प्रपत्र 47/48]। इन आवश्यकताओं का समुचित रूप से पक्षकारों द्वारा अपने-अपने अभिलेखों में उल्लेख किया जाना तथा विधि के अनुसार साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध किया जाना आवश्यक है। केवल तभी न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते

हुए, पक्षकारों द्वारा तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत मामले के अनुसार, विशिष्ट प्रतिपादन की राहत प्रदान करने या उसे अस्वीकार करने का निर्णय कर सकता है।

17. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि 'तत्परता' और 'इच्छा' एक ही नहीं, बल्कि दो पृथक तत्व हैं। 'तत्परता' से अभिप्राय उत्तरदाता सं. 1–क्रेता की अनुबंध का पालन करने की क्षमता से है, जिसमें विक्रय मूल्य का भुगतान करने की उसकी आर्थिक स्थिति भी सम्मिलित होती है। 'इच्छा' से आशय उत्तरदाता सं. 1–क्रेता के रूप में क्रेता की अपने हिस्से के अनुबंध का पालन करने की मंशा से है, जिसका निर्धारण उत्तरदाता सं. 1–क्रेता/क्रेता के आचरण तथा संबंधित परिस्थितियों के परीक्षण से किया जाता है।

18. विक्रय अनुबंध के निष्पादन की तिथि से लेकर डिक्री पारित होने तक, उत्तरदाता सं. 1–क्रेता/क्रेता द्वारा निरंतर 'तत्परता' और 'इच्छा' का बना रहना, विशिष्ट प्रतिपादन की राहत प्रदान किए जाने के लिए एक पूर्वापेक्षा है। इस न्यायालय ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह कहा है कि केवल वादपत्र दायर करने की तिथि तक तत्परता और इच्छा का प्रदर्शन पर्याप्त नहीं है; बल्कि आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो कि अनुबंध की तिथि से लेकर वाद की लंबित अवधि के दौरान तथा डिक्री पारित होने तक, प्रत्येक समय पर तत्परता और इच्छा विद्यमान थी। ऐसे कुछ निर्णय नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:–

ए. **गोमतीनायगम पिल्लई और अन्य बनाम पलानीस्वामी नादर (1967) 1 एस. सी. आर. 227, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है:-**

> "6. किन्तु उत्तरदाता ने विशिष्ट प्रतिपादन की डिक्री का दावा किया है और यह उसी पर निर्भर है कि वह यह सिद्ध करे कि अनुबंध की तिथि से वह निरंतर अपने हिस्से के अनुबंध का पालन करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक था। यदि वह ऐसा सिद्ध करने में विफल रहता है, तो विशिष्ट प्रतिपादन का उसका दावा असफल होना चाहिए। जैसा कि प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति ने

अर्देशिर मामा बनाम फ्लोरा सैसून 1928 एससीसी ऑनलाइन पीसी 43 में कहा था:

"विशिष्ट प्रतिपादन के वाद में, दूसरी ओर, वादी को अनुबंध को अब भी प्रभावी मानकर चलना होता है, और न्यायालय भी उससे ऐसा ही अपेक्षित करता है। ऐसे वाद में उसे यह अभिवचन करना होता है और यदि इस तथ्य का खंडन किया जाता है, तो उसे यह सिद्ध करना होता है कि अनुबंध की तिथि से लेकर सुनवाई के समय तक वह निरंतर अपने हिस्से के अनुबंध का पालन करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक रहा है। इस अभिवचन को सिद्ध करने में विफलता, उसके वाद की अनिवार्य रूप से खारिजी का कारण बनती है।"

विशिष्ट प्रतिपादन के वाद में, उत्तरदाता/वादी को यह अभिवचन करना तथा सिद्ध करना आवश्यक है कि वह अनुबंध की तिथि से लेकर वाद की सुनवाई की तिथि तक निरंतर अपने हिस्से के अनुबंध का पालन करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक रहा है...।

(जोर दिया गया)

बी. **विजय कुमार और अन्य बनाम ओम प्रकाश, 2018 एससीसी ऑन लाइन एस. सी. 1913,** यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है:-

"6. विशिष्ट प्रतिपादन की डिक्री प्राप्त करने के लिए, **वादी को यह सिद्ध करना होता है कि वह अपने हिस्से के अनुबंध का पालन करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक था, और यह तत्परता एवं इच्छा निरंतर प्रदर्शित की जानी चाहिए तथा वादी द्वारा स्थापित की जानी चाहिए...।"**

(जोर दिया गया)

सी. **जे.पी. बिल्डर्स और एक अन्य बनाम ए. रामदास राव और एक अन्य, (2011) 1 एस सी सी 429** में निम्नलिखित प्रतिपादित किया गया है:-

"27. यह स्थापित विधि है कि प्रतिपक्ष द्वारा विशेष रूप से आपत्ति न उठाए जाने की स्थिति में भी, विधि का यह अनिवार्य प्रावधान है कि वादी को विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16(ग) का पालन करना होगा, और यदि इस वैधानिक अनिवार्यता का पालन नहीं किया जाता है, तो न्यायालय विशिष्ट प्रतिपादन की राहत देने के लिए बाध्य नहीं है तथा उसके पास वाद को खारिज करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता। **यह भी स्पष्ट है कि अनुबंध के पालन हेतु तत्परता को सभी प्रासंगिक समय बिंदुओं पर सिद्ध किया जाना चाहिए। अनुबंध के अपने हिस्से के पालन के प्रति 'तत्परता और इच्छा' का निर्धारण/आकलन पक्षकारों के आचरण से किया जाना चाहिए।"**

(जोर दिया गया)

डी. **उमाबाई और एक अन्य बनाम नीलकंठ धोंडीबा चव्हाण (मृत) बनाम कानूनी वारिस और एक अन्य (2005) 6 एससीसी 243** में निम्नलिखित रूप से प्रतिपादित किया गया है:-

"30. अब यह विधि द्वारा सुव्यवस्थित है कि इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि क्या वादी-उत्तरदातागण पूरे समय से और अभी भी अपने हिस्से के अनुबंध का पालन करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक हैं, जैसा कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16(ग) के अंतर्गत अनिवार्य है, पक्षकारों के आचरण का निर्धारण समस्त प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। **केवल वादपत्र में साधारण अभिवचन या मुख्य परीक्षण में दिया गया कथन पर्याप्त नहीं होगा। वादी-उत्तरदातागण के आचरण का मूल्यांकन संपूर्ण अभिलेख तथा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में किया जाना चाहिए।"**

(जोर दिया गया)

ई. **महबूब-उर-रहमान (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम अहसानुल गनी** (उपरोक्त) के माध्यम से, यह आयोजित किया गया है:-

"16. वादी पर यह अनिवार्य दायित्व है कि वह वादपत्र में यह आवश्यक अभिवचन करे कि उसने अनुबंध की उन आवश्यक शर्तों का पालन कर दिया है, या वह सदैव उन्हें पूरा करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक रहा है, जिन्हें उसके द्वारा पूरा किया जाना था। ऐसे में, यदि उत्तरदाता द्वारा लिखित बयान में कोई आपत्ति नहीं भी उठाई गई हो, तो उसका कोई विशेष प्रभाव या परिणाम नहीं होता। **ऐसे मामलों में न्यायालय के समक्ष विचारणीय मुख्य प्रश्न सदैव यह होता है कि क्या अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों और साक्ष्यों को समग्र रूप से देखने पर वादी ने यह सिद्ध किया है कि उसने अपने हिस्से के अनुबंध का पालन किया है या वह सदैव ऐसा करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक रहा है...**

(जोर दिया गया)

एफ. **सी.एस. वेंकटेश बनाम ए.एस.सी. मूर्ति (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के द्वारा और अन्य** (उपर्युक्त) में निम्नलिखित प्रतिपादित किया गया है:–

"16. 'तत्पर' और 'इच्छुक' शब्दों का आशय यह है कि वादी अनुबंध के उन भागों को, जो उसके निष्पादन पर निर्भर करते हैं, उनके तार्किक अंत तक पूरा करने के लिए तैयार था। वादी की ओर से निरंतर तत्परता और इच्छा का बना रहना, विशिष्ट प्रतिपादन की राहत प्रदान किए जाने के लिए एक पूर्वापेक्षा है। यदि वादी इस संबंध में अभिवचन करने या इसे सिद्ध करने में विफल रहता है, तो उसका दावा असफल होना चाहिए। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वादी अपने हिस्से के अनुबंध का पालन करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक है, न्यायालय को वादी के आचरण का, वाद दायर किए जाने से पूर्व

तथा पश्चात, अन्य संबंधित परिस्थितियों के साथ, समुचित विचार करना चाहिए। जो राशि उसे उत्तरदाता को अदा करनी है, उसका उपलब्ध होना सिद्ध किया जाना आवश्यक है। **अनुबंध के निष्पादन की तिथि से लेकर डिक्री पारित होने तक, उसे यह सिद्ध करना होगा कि वह अपने हिस्से के अनुबंध का पालन करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक था। न्यायालय तथ्यों और परिस्थितियों से यह अनुमान लगा सकता है कि वादी तत्पर था और सदैव अपने अनुबंध का पालन करने के लिए तैयार था।"**

17. एन.पी. तिरुगननम बनाम आर. जगन मोहन राव, (1995) 5 एस सी सी 115 में यह प्रतिपादित किया गया है कि वादी की ओर से निरंतर तत्परता एवं इच्छा का बना रहना, विशिष्ट प्रतिपादन की राहत प्रदान किए जाने के लिए एक पूर्वापेक्षा है। यह परिस्थिति महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है, जिसे न्यायालय द्वारा राहत प्रदान करते समय या उसे अस्वीकार करते समय अवश्य विचार किया जाना चाहिए। यदि वादी इस संबंध में अभिवचन करने या इसे सिद्ध करने में विफल रहता है, तो उसका दावा असफल हो जाता है। **यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वादी अपने हिस्से के अनुबंध का पालन करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक था, न्यायालय को वादी के आचरण का, वाद दायर किए जाने से पूर्व तथा पश्चात, अन्य संबंधित परिस्थितियों के साथ, विचार करना चाहिए। जिस विचार राशि का भुगतान उसे उत्तरदाता को करना है, उसका उपलब्ध होना भी आवश्यक रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए।**

18. पुष्परानी एस. सुंदरम बनाम पॉलिन मनोमानी जेम्स [पुष्परानी एस. सुंदरम बनाम पॉलिन मनोमानी जेम्स (2002) 9 एस. सी. सी. 582] में, 'तत्परता' और 'इच्छा' के संबंध में निष्कर्ष, वादी के आचरण तथा प्रत्येक

मामले की समग्र परिस्थितियों के आधार पर निकाला जा सकता है। निर्णय में इस प्रकार कहा गया है: (एस सी सी पृ. 584, कंडिका 5)

> "5. ... अब तक, यद्यपि अभिलेखों में यह कथन किया गया है कि वे अपने हिस्से के अनुबंध का पालन करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक थे, तथापि हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि मात्र ऐसा कथन, अपने आप में, यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलकर्ता विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16(ग) के अर्थ में तत्पर एवं इच्छुक थे। इसके लिए न केवल ऐसा अभिवचन आवश्यक है, बल्कि उसका प्रमाण भी आवश्यक है। अब इन दोनों परिस्थितियों में से प्रथम का परीक्षण करते हुए, केवल इस वाद का दायर किया जाना, वह भी छूट दिए जाने के पश्चात, किस प्रकार वादी की तत्परता या इच्छा का प्रमाण हो सकता है। यह अधिकतम वादी की उस संपत्ति को प्राप्त करने की इच्छा को दर्शा सकता है। संभव है कि ऐसी इच्छा के कारण ही यह वाद दायर किया गया हो और ऐसा अभिवचन किया गया हो। किन्तु उक्त अधिनियम की धारा 16(ग) यह स्पष्ट करती है कि मात्र अभिवचन पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका प्रमाण भी आवश्यक है।"

(जोर दिया गया)

19. अतः, वाद दायर किए जाने के समय संपत्ति के विक्रय को आगे बढ़ाने के लिए क्रेता की तत्परता और इच्छा का महत्व समाप्त हो जाता है, यदि उत्तरदाता सं. 1–क्रेता यह सिद्ध करने में असफल रहता है कि यह तत्परता और इच्छा वाद की संपूर्ण लंबित अवधि के दौरान निरंतर बनी रही।

20. वर्तमान वाद में अभिलेखों एवं साक्ष्यों के परीक्षण तथा उत्तरदाता सं. 1–क्रेता के आचरण पर विचार करने के उपरांत, यह न्यायालय उत्तरदाता सं. 1–क्रेता के इस कथन से सहमत नहीं है कि वह दिनांक 25 जनवरी 2008 के विक्रय अनुबंध का पालन करने के लिए इच्छुक थी तथा संपत्ति की खरीद को आगे बढ़ाना चाहती थी। न्यायालय ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, दिनांक 7 फरवरी 2008 के पाँच डिमांड ड्राफ्ट, जिनकी कुल राशि ₹2,11,000/- (दो लाख ग्यारह हजार रुपये) थी, उत्तरदाता सं. 1–क्रेता द्वारा जुलाई 2008 में भुना लिए गए थे। उत्तरदाता सं. 1–क्रेता द्वारा डिमांड ड्राफ्टों को भुनाने का आचरण निर्विवाद रूप से यह सिद्ध करता है कि वह विक्रय अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने तथा विक्रय विलेख के निष्पादन के साथ आगे बढ़ने के लिए इच्छुक नहीं थी; क्योंकि यदि वह वास्तव में अनुबंध का पालन करने के लिए इच्छुक होती, तो वह डिमांड ड्राफ्टों को भुनाती नहीं। अतः, जब यह स्थापित हो जाता है कि उत्तरदाता सं. 1–क्रेता अनुबंध का पालन करने के लिए इच्छुक नहीं थी, तब यह तथ्य कि संपूर्ण अग्रिम विचार राशि/बयाना उसे वापस नहीं किया गया था, अप्रासंगिक एवं महत्वहीन हो जाता है।

<u>दिनांक 25 जनवरी 2008 का विक्रय अनुबंध निरस्त/समाप्त हो चुका था</u>

21. यह न्यायालय इस मत का भी है कि उत्तरदाता सं. 1–क्रेता द्वारा डिमांड ड्राफ्टों को भुनाने की कार्रवाई इस अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि विवादित विक्रय अनुबंध निरस्त हो चुका था।

22. उत्तरदाता सं. 1–क्रेता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि दिनांक 25 जनवरी 2008 का विक्रय अनुबंध एकतरफा निरस्त नहीं किया जा सकता था, तथ्यों के विपरीत है; क्योंकि दिनांक 07 फरवरी 2008 का पत्र, जिसके साथ डिमांड ड्राफ्ट की वापसी तथा दो उत्तर-दिनांकित चेक संलग्न थे, वस्तुतः विक्रेता द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2008 के विक्रय अनुबंध का परित्याग था। उन डिमांड ड्राफ्टों का नकदीकरण उत्तरदाता सं. 1–क्रेता द्वारा

उक्त परित्याग की स्वीकृति था, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 25 जनवरी 2008 का विक्रय अनुबंध निरस्त हो गया।

23. यह तर्क कि डिमांड ड्राफ्ट "विरोध स्वरूप" भुनाए गए थे, तथ्यों के आधार पर गलत है, क्योंकि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि डिमांड ड्राफ्ट विरोध के साथ भुनाए गए थे। वास्तव में, अ.सा.–2, जो उत्तरदाता सं. 1–क्रेता के पति हैं, ने अपने बयान में कहा है कि डिमांड ड्राफ्ट और चेक प्राप्त होने पर उत्तरदाता सं. 1–क्रेता ने विक्रेता को कोई पत्र जारी नहीं किया था, जिसमें यह कहा गया हो कि उन्हें प्राप्त राशि उनके द्वारा दी गई बयाना राशि से कम थी।

<u>अनुबंध के निरस्तीकरण को विधि-विरुद्ध घोषित करने हेतु घोषणात्मक राहत की प्रार्थना के अभाव में, विशिष्ट प्रतिपादन का वाद ग्राह्य नहीं है।</u>

24. यह न्यायालय आगे यह पाता है कि विक्रेता ने निर्विवाद रूप से दिनांक 7 फरवरी 2008 को एक पत्र जारी कर, दिनांक 25 जनवरी 2008 के विक्रय अनुबंध को, विषय वाद के 5 मई 2008 को दायर होने से पूर्व ही, निरस्त कर दिया था। यद्यपि दिनांक 07 फरवरी 2008 के पत्र के साथ संलग्न डिमांड ड्राफ्ट बाद में जुलाई 2008 में भुनाए गए, तथापि न्यायालय का मत है कि उत्तरदाता सं. 1–क्रेता पर यह दायित्व था कि वह यह घोषणात्मक राहत प्राप्त करे कि उक्त निरस्तीकरण विधि की दृष्टि में अवैध है और पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं है; क्योंकि विशिष्ट प्रतिपादन की राहत प्रदान करने के लिए वैध अनुबंध का अस्तित्व अनिवार्य शर्त है।

25. यह न्यायालय **आई.एस. सिकंदर (मृत) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा बनाम के. सुब्रमणि और अन्य (2013) 15 एससीसी 27** में यह प्रतिपादित कर चुका है कि यदि यह घोषणा माँगने की प्रार्थना नहीं की गई हो कि अनुबंध की समाप्ति विधि-विरुद्ध है, तो उस अनुबंध के विशिष्ट प्रतिपादन के लिए दायर वाद विचारणीय नहीं होता। यद्यपि बाद में इस न्यायालय ने **ए. कंथमणि बनाम नसरीन अहमद (2017) 4 एससीसी 654** में यह कहा

कि **आई.एस. सिकंदर (मृत) के कानूनी वारिसों द्वारा बनाम के. सुब्रमणि (उपरोक्त)** में विधि की जो घोषणा की गई थी—कि समाप्ति पत्र को चुनौती दिए बिना वाद विचारणीय नहीं है—वह उस मामले के तथ्यों तक सीमित है, तथापि उक्त प्रश्न पर हाल ही में **आर कंडासामी (मृत्यु के बाद से) एवं अन्य बनाम टी.आर.के. सरवती और एक अन्य.** (उपरोक्त) में भी विचार किया गया है, जिसका निर्णय माननीय न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता द्वारा लिखा गया है, और जिसमें **आई.एस. सिकंदर (मृत) के कानूनी वारिसों द्वारा बनाम के. सुब्रमणि (उपरोक्त) तथा ए. कंथमणि बनाम नसरीन अहमद** (उपरोक्त) के निर्णयों के बीच उत्पन्न विवाद पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है। **आर. कंडासामी (मृत के बाद से) और अन्य बनाम टी.आर.के. सरावथी और एक अन्य.** में यह स्पष्ट किया गया है कि अपीलीय न्यायालय इस बात की जाँच करने से वंचित नहीं होगा कि विशिष्ट प्रतिपादन की राहत प्रदान करने हेतु आवश्यक अधिकारिक तथ्य विद्यमान है या नहीं, भले ही विचारण न्यायालय ने वाद की विचारणीयता के संबंध में कोई मुद्दा निर्धारित नहीं किया हो या ऐसा करने में विफल रहा हो। **आर. कंडासामी (मृत के बाद से) और अन्य बनाम टी.आर.के. सरवती और एक अन्य.** के निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

> "25. **ए. कंथमणि (उपरोक्त)** के निर्णय से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब तक विचारण न्यायालय द्वारा वाद की विचारणीयता से संबंधित कोई मुद्दा निर्धारित नहीं किया जाता, तब तक केवल इस आधार पर कि उपयुक्त घोषणात्मक राहत की प्रार्थना नहीं की गई है, अपीलीय चरण में वाद को अविचारणीय नहीं ठहराया जा सकता।
>
> 43. **सृष्ट धवन (श्रीमती) बनाम शॉ ब्रदर्स (1992)1 एससीसी 534** में 'अधिकार-निर्धारक तथ्य' पर एक रोचक चर्चा माननीय न्यायमूर्ति आर.एम. सहाइ (जैसा कि उस समय वे थे) की सहमति अभिमत में पाई जाती है। यह इस प्रकार है:

"19. *** अधिकार-निर्धारक तथ्य के संबंध में त्रुटि क्या है? अधिकार-निर्धारक तथ्य वह तथ्य होता है, जिसके अस्तित्व या अनस्तित्व पर किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण द्वारा अधिकारिता ग्रहण करने या न करने का निर्णय निर्भर करता है। ब्लैक के कानूनी शब्दकोश में इसे उस तथ्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका अस्तित्व होना आवश्यक है, तभी कोई न्यायालय किसी विशेष मामले में विधिवत अधिकारिता ग्रहण कर सकता है। अधिकारिता से संबंधित तथ्य के बारे में तथ्यात्मक त्रुटि को अधिकार-निर्धारक तथ्य की त्रुटि कहा जाता है। कोई भी वैधानिक प्राधिकरण या अधिकरण ऐसे विषय-वस्तु पर अधिकारिता ग्रहण नहीं कर सकता, जो विधि द्वारा उसे प्रदान नहीं की गई है; और यदि वह उस तथ्य के संबंध में, जिस पर उसकी अधिकारिता निर्भर करती है, त्रुटिपूर्ण निर्णय लेकर अधिकारिता का प्रयोग करता है, तो उसका आदेश दूषित हो जाता है। अधिकार-निर्धारक तथ्य में त्रुटि आदेश को अधिकारातीत तथा अवैध बना देती है (वेड, प्रशासनिक कानून रज़ा टेक्सटाइल्स में [(1973)1]) एससीसी 633 में यह प्रतिपादित किया गया कि कोई न्यायालय या अधिकरण किसी अधिकार-निर्धारक तथ्य का गलत निर्णय देकर स्वयं को अधिकारिता प्रदान नहीं कर सकता।

(जोर दिया गया)

44 उपर्युक्त उद्धरण से प्रेरणा लेते हुए हमारा निष्कर्ष यह है कि वाद की विचारणीयता का प्रश्न, दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII नियम 1 के अनुसार वादपत्र दाखिल कर प्रारंभ की गई कार्यवाही की जड़ पर प्रहार करता है। यदि कोई वाद विधि द्वारा निषिद्ध है, तो विचारण न्यायालय को उसे ग्रहण करने और विचारण करने का कोई अधिकार ही नहीं होता। हालाँकि, भले ही किसी मामले में दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के अंतर्गत निषेध लागू न होता हो, फिर भी किसी वाद पर

अधिकार ग्रहण करने वाले विचारण न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह जाँच करे और सुनिश्चित करे कि अधिकार-निर्धारक तथ्य वास्तव में विद्यमान है या नहीं, जिससे वह (विचारण न्यायालय) वाद का परीक्षण आगे बढ़ा सके और वादी को दावा की गई राहत प्रदान करने पर विचार कर सके। कोई भी उच्चतर न्यायालय, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय, केवल इस दिखावटी आधार पर कि पक्षकारों को किसी विशेष आक्रमण/प्रतिरक्षा के बिंदु के संबंध में विशेष रूप से अवगत नहीं कराया गया था—जिस पर वाद की सफलता या विफलता निर्भर करती है—राहत प्रदान करने वाले डिक्री में हस्तक्षेप करने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं समझना चाहिए; विशेषकर तब, जब यह प्रश्न विचारण न्यायालय की उस अधिकारिता से संबंधित हो, जिसके आधार पर वह राहत प्रदान कर सकता है, और जब राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक 'अधिकार-निर्धारक तथ्य' ही सिद्ध नहीं हुआ हो। जैसा कि श्रीष्ट धवन (उपरोक्त) में कहा गया है, यह एक मौलिक सिद्धांत है कि अधिकारिता को ग्रहण करना या उससे इंकार करना अधिकार-निर्धारक तथ्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है। चाहे पक्षकारों ने इस संबंध में कोई आपत्ति उठाई हो या नहीं, यह विचारण न्यायालय का दायित्व है कि वह स्वयं संतुष्ट हो कि पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं और सभी आवश्यक तथ्य, जिनमें अधिकार-निर्धारक तथ्य भी सम्मिलित है, सिद्ध हो चुके हैं, तभी राहत प्रदान की जा सकती है और वाद सफल हो सकता है। यह एक ऐसा दायित्व है जिसे विचारण न्यायालय को पक्षकारों के बीच वास्तविक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से निभाना होता है, चाहे वाद में किसी भी पक्षकार ने इस मुद्दे को उठाया हो या नहीं। यदि अधिकार-निर्धारक तथ्य विद्यमान नहीं है, तो मुद्दों के निर्धारण के समय, न्यायालय को अपने प्रथम दृष्टया मत के बारे में पक्षकारों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि ऐसा तथ्य अस्तित्व में नहीं है, जो उसकी अधिकारिता को प्रभावित करता है। किन्तु यदि अधिकार-निर्धारक तथ्य का निर्धारण नहीं किया जाता, या उसका

गलत निर्धारण कर लिया जाता है जिससे अधिकारिता का ग्रहण हो जाता है, तो यह अधिकारिता का अनुचित ग्रहण माना जाएगा, और परिणामी आदेश को अधिकारातीत तथा अवैध ठहराया जाएगा।

45. यदि विचारण न्यायालय स्वयं को इस बात से संतुष्ट नहीं करता कि राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक अधिकार-निर्धारक तथ्य वास्तव में विद्यमान है, तो न्यायिक श्रेणीक्रम में उच्चतर न्यायालय को स्वयं इस संबंध में संतुष्ट होने से कोई भी बात नहीं रोकती। यह सत्य है कि वाद की विचारणीयता के प्रश्न को केवल दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाना चाहिए, और न्यायालय इस प्रश्न पर या तो किसी मुद्दे के निर्धारण के पश्चात निर्णय दे सकता है या, यदि आदेश VII नियम 11 (डी) लागू होता है, तो उससे पूर्व भी निर्णय कर सकता है। उचित एवं उपयुक्त मामलों में, भले ही विचारण न्यायालय ने अधिकार-निर्धारक तथ्य से संबंधित कोई मुद्दा निर्धारित करने में चूक की हो, उच्चतर न्यायालय श्रीष्ट धवन (उपरोक्त) में निर्धारित परीक्षण को लागू करते हुए अपना निर्णय देने के लिए पूर्णतः उचित होगा।

46. इस मामले में, यद्यपि विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान वाद की विचारणीयता के संबंध में कोई मुद्दा निर्धारित नहीं किया गया था, तथापि यह मुद्दा अवश्य था कि क्या समझौता वास्तविक, वैध तथा प्रवर्तनीय है, जिसका निर्णय विक्रेताओं के विरुद्ध दिया गया। स्पष्टतः, वाद की खारिजी के कारण विक्रेताओं ने अपील दायर नहीं की। तथापि, इस प्रश्न पर हमारे निष्कर्ष—कि क्या खरीदार 'तैयार और इच्छुक' था—को ध्यान में रखते हुए, हम यहाँ अधिकार-निर्धारक तथ्य के मुद्दे पर किसी और विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं देखते।"

26. वर्तमान मामले में, चूँकि विक्रेता ने वाद की स्थापना से पूर्व दिनांक 07 फरवरी, 2008 को विक्रय समझौते को निरस्त करने का पत्र जारी कर दिया था, अतः यह तथ्य एक अधिकार-निर्धारक तथ्य का रूप ले लेता है; क्योंकि जब तक उक्त निरस्तीकरण को

अपास्त नहीं किया जाता, तब तक उत्तरदाता विशिष्ट प्रतिपादन की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

27. नतीजतन, इस न्यायालय की राय है कि घोषणात्मक राहत के लिए एक अनुरोध के अभाव में कि समझौते की समाप्ति/रद्द करना कानून में बुरा है, विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है।

अपीलकर्ता के पास अपील दायर करने का अधिकार है।

28. उत्तरदाता संख्या 1–खरीदार द्वारा उठाई गई यह प्रारंभिक आपत्ति कि उसकी "तत्परता एवं इच्छुकता" के प्रश्न की इस न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अपीलकर्ता के पास वर्तमान अपील दायर करने का *अधिकार* नहीं है और उसका विवादित संपत्ति पर कोई अधिकार, हित या स्वामित्व नहीं है—तथ्यों के आधार पर त्रुटिपूर्ण है। अपीलकर्ता को वाद में उत्तरदाता संख्या 3 के रूप में सम्मिलित किया गया था, क्योंकि वह मूल स्वामी/विक्रेता द्वारा दिनांक 23 सितम्बर 2002 को निष्पादित वसीयत की लाभार्थी है, जिसके द्वारा विवादित संपत्ति उसके पक्ष में वसीयत की गई थी। अतः, अपीलकर्ता, वाद में एक आवश्यक तथा हितग्राही पक्षकार होने के कारण, वर्तमान अपील दायर करने का अधिकार रखती है। इसके अतिरिक्त, "तत्परता एवं इच्छुकता" सिद्ध करने का दायित्व उत्तरदाता संख्या 1–खरीदार पर है, और ऐसा सिद्ध करने में विफल रहने पर वह विशिष्ट प्रतिपादन जैसी न्यायसंगत एवं विवेकाधीन राहत प्राप्त करने का अधिकार खो देती है।

महत्वपूर्ण तथ्यों के दमन के कारण खरीदार विशिष्ट प्रतिपादन की न्यायसंगत एवं विवेकाधीन राहत से वंचित हो जाता है।

29. अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाता संख्या 1–खरीदार ने न केवल घोषणात्मक राहत की मांग करने में विफलता दिखाई, बल्कि उसने अपने वादपत्र में यह भी प्रकट नहीं किया कि विक्रेता ने दिनांक 07 फरवरी 2008 को निरस्तीकरण का पत्र जारी किया था, जिसके साथ उसी दिनांक के डिमांड ड्राफ्ट तथा तीन में से दो उत्तर-दिनांकित चेक संलग्न थे। उत्तरदाता संख्या 1–खरीदार द्वारा अपने वादपत्र में इस तथ्य का उल्लेख न करना, एक महत्वपूर्ण तथ्य के दमन के समान है, जिसके कारण वह विशिष्ट प्रतिपादन जैसी विवेकाधीन राहत प्राप्त करने की पात्रता खो देती है। इस न्यायालय ने **सिटाडेल फाइन फार्मास्युटिकल्स बनाम रामानियम रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य (2011) 9 एससीसी 147** में निम्नलिखित कहा है:

"57. इस मामले का एक अन्य पक्ष भी है। वर्तमान प्रकरण में, अनुबंध के विशिष्ट प्रतिपादन की मांग करके, वादी-खरीदार एक विवेकाधीन राहत की प्रार्थना कर रहा है। यह एक स्वयंसिद्ध सिद्धांत है कि जब कोई पक्ष विवेकाधीन राहत की मांग करता है, तो उसे न्यायालय के समक्ष पूर्ण और उचित तथ्यों के प्रकटीकरण के साथ उपस्थित होना चाहिए। ऐसे मामलों में न्यायालय के समक्ष दायर वादपत्र में सभी तथ्यों को पर्याप्त स्पष्टता और निष्कपटता के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, वादी-खरीदार ने वादपत्र में यह कथन किया कि उत्तरदाता-विक्रेता को निर्देश दिया जाए कि वह ₹10,00,000 की अग्रिम राशि को 24% वार्षिक ब्याज सहित, उक्त राशि के भुगतान की तिथि से लेकर उसकी वसूली तक वापस करे, और इस संबंध में एक वैकल्पिक प्रार्थना भी प्रार्थना खंड (सी) में की गई थी।

58. हालाँकि, वास्तविक स्थिति यह है कि वाद दायर किए जाने से पूर्व ही उत्तरदाता-विक्रेता ने दिनांक 04-09-1996 के अपने पत्र द्वारा ₹10,00,000 की उक्त राशि एक खाता-भुगतान चेक के माध्यम से वादी के पक्ष में वापस कर दी थी, और इसे पंजीकृत डाक से वादी को भेजा गया था, जिसे वादी ने दिनांक 06-09-1996 को

लेने से इंकार कर दिया। वादी ने इस तथ्य को अपने वादपत्र में छिपा लिया और दिनांक 09-09-1996 को वाद इस प्रकार दायर किया मानो विक्रेता द्वारा उक्त राशि वापस ही नहीं की गई हो। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य का दमन है, और इसके कारण वादी-खरीदार न्यायालय से विशिष्ट प्रतिपादन जैसी किसी भी विवेकाधीन राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता।

59. इस संदर्भ में हम आई.सी.एफ. स्प्री (चौथा संस्करण, स्वीट एंड मैक्सवेल, 1990) द्वारा न्यायसंगत उपचारों के सिद्धांत का उल्लेख कर सकते हैं। "स्वच्छ हाथ" के सिद्धांत पर विचार करते हुए विद्वान लेखक का मत है कि जहाँ यह प्रदर्शित हो जाए कि वादी ने न्यायालय को किसी महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में भ्रमित किया है, या न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है अथवा ऐसा करने का प्रयास किया है, वहाँ उसे विशिष्ट प्रतिपादन जैसी विवेकाधीन राहत प्रदान करने से वंचित किया जा सकता है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते समय लेखक ने इंग्लैंड की न्यायालय के निर्णय आर्मस्ट्रांग बनाम शेपर्ड एंड शॉर्ट लिमिटेड [(1959) 2 क्यूबी 384 : (1959) 3 डब्ल्यूएलआर 84 : (1959) 2 ऑल ईआर 651 (सीए)] , क्यूबी पृष्ठ 397 पर। पर अवलम्बन किया है (देखें स्प्री, इक्विटेबल रेमेडीज, पृष्ठ 243)।

60. इस न्यायालय ने अरुणिमा बरुआ बनाम भारत संघ [(2007) 6 एससीसी 120] में भी यही दृष्टिकोण अपनाया है। उक्त निर्णय के पृष्ठ 125, अनुच्छेद 12 में यह कहा गया कि यह स्थापित विधि है कि न्यायालय अपनी विवेकाधीन अधिकारिता का प्रयोग करने से इंकार तभी करेगा जब तथ्य का दमन किसी *महत्वपूर्ण तथ्य* से संबंधित हो। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कौन-सा तथ्य "महत्वपूर्ण" है—जिसके दमन से वादी विवेकाधीन राहत प्राप्त करने से वंचित हो सकता है—यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तथापि, मार्गदर्शन के रूप में

यह कहा गया कि "महत्वपूर्ण तथ्य" से अभिप्राय उस तथ्य से है जो वाद के निर्धारण के उद्देश्य से प्रासंगिक और आवश्यक हो।

61. उपर्युक्त परीक्षणों को लागू करते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि यह तथ्य कि वादी ने उत्तरदाता द्वारा अनुबंध की धारा 9 के अनुसार पावती सहित पंजीकृत डाक से भेजे गए ₹10 लाख के चेक को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था, एक *महत्वपूर्ण तथ्य* है। अतः, इस आधार पर वादी-खरीदार अपने विशिष्ट प्रतिपादन के वाद में किसी भी प्रकार की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।"

निष्कर्ष

30. उपर्युक्त निष्कर्षों को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि विक्रय हेतु किया गया समझौता विशिष्ट रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। अतः, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है तथा दिनांक 27 अप्रैल, 2018 के आक्षेपित निर्णय एवं दिनांक 10 मई, 2018 तथा 09 मई, 2024 की डिक्री अपास्त की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, आक्षेपित निर्णयों के अनुसरण में उत्तरदाता संख्या 1–खरीदार के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को शून्य एवं अवैध घोषित किया जाता है, और अपीलकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह उत्तरदाता संख्या 1–खरीदार द्वारा अपीलित निर्णय एवं डिक्री के अनुपालन में जमा की गई शेष विक्रय मूल्य राशि ₹24,61,000/- (रुपये चौबीस लाख इकसठ हजार मात्र) वापस करे।

वाद का परिणामः अपील स्वीकार की गई।

निर्णय सार लेखन: निधि जैन

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।